न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–काना राम, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–01/2024 अपील (आर्म्स)

बन्ता सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह आयु 52 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 06, डबलीवास मिढ्ढा रोही, बावरियोंवाली ढाणी, चक 1 डी०बी०एल०ए० तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान)।

––अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उप जिला कलक्टर, हनुमानगढ जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.01.2024, न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2023 को अस्वीकार कर खारिज फरमा दिया, बमुराद मन्सूखी उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थितः–

1. श्री नवीन कुमार मोदी एडवोकेट–अपीलार्थी।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांकः–29.01.2025

अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स एक्ट के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा अपीलांट का एम.एल. गन शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 58/2007 जिसे आदेश दिनांक 10.01.2024 द्वारा निरस्त किया गया, को अपास्त कर अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने बाबत पेश हुई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2023 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एम० एल० गन अनुज्ञापत्र संख्या 58 / 2007 को नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा अनुज्ञापत्र संख्या 58 / 2007 को नियमित रूप से नवीनीकरण करवाया जा रहा है, का कथन अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है तथा साथ ही दिनांक 02.01.2017 को प्रार्थी के विरूद्ध लम्बित मुकदमों के आधार पर पुलिस उपअधीक्षक हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा उसके विरूद्ध दायर मुकदमा संख्या 14 / 2013 में दिनांक 17.12.2020 को पारित निर्णय में बरी फरमाया गया तथा मुकदमा नम्बर 363 / 2016 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2022 द्वारा दोषमुक्त किया गया है, ऐसी स्थिति में शस्त्र लाईसैंस संख्या 58 / 2007 को पुनः नवीनकृत किये जाने का अंकन किया गया है। शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 58 / 2007 उपखण्ड मजिस्ट्रेट हनुमानगढ को कार्यालय हाजा द्वारा पत्रांक न्याय /2016/01 दिनांक 02.01.2017 द्वारा प्रार्थी / अनुज्ञाधारी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पेण्डिंग कोर्ट होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 58 / 2007 को निरस्त किया गया है। प्रार्थी बन्ता सिंह पुत्र प्रताप सिंह का अनुज्ञापत्र संख्या 58 / 2007 दिनांक 02.01.2017 को निरस्त किया गया है, यदि प्रार्थी कार्यालय हाजा द्वारा जारी

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

आदेश से सन्तुष्ट नहीं था तो ऐसी स्थिति में सक्षम स्तर पर तथा मियाद में अपील की जानी थी परन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार प्रार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। प्रार्थी के अनुज्ञापत्र बहाली के सम्बंध में अपील अवधि भी समाप्त हो चुकी है, का अंकन करते हुए दिनांक 10.01.2024 को आदेश पारित कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की है:—

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र खारिज करने का आधार अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाधीन होने का लिया है लेकिन अपीलार्थी के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित होने से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 58 / 2007 को खारिज कर कानूनी भूल की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित होने से पूर्व अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र खारिज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। अपीलार्थी के विरूद्ध विचाराधीन आपराधिक प्रकरण संख्या 14 / 2013 में दिनांक 17.12.2020 को व प्रकरण संख्या 363 / 2016 में दिनांक 07.09.2022 को अपीलार्थी को बरी / दोषमुक्त फरमाया जा चुका है, उक्त दोनो प्रकरणों के सम्बन्ध में कोई अपील किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है व अपील पेश करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है, जिसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अधीनस्थ न्यायालय को उक्त तथ्यों से अवगत करवा दिया गया व अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने का निवेदन किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का गहनता से अवलोकन किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है व अपने आदेश में भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य अंकित नहीं किये गये है। प्रार्थी को आक्षेपित आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं था। प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने व दिनांक 02.02.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पश्चात सर्वप्रथम हुआ है। इसलिए उक्त अपील प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करवाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.01.2024 अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 58 / 2007 नवीनीकृत करने के आदेश फरमावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा बहस में कथन किये कि अपीलार्थी के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित होने से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 58 / 2007 को खारिज कर कानूनी भूल की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित होने से पूर्व अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र खारिज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। अपीलार्थी के विरूद्ध विचाराधीन आपराधिक प्रकरण संख्या 14 / 2013 में दिनांक 17.12.2020 को व प्रकरण संख्या 363 / 2016 में दिनांक 07.09.2022 को अपीलार्थी को बरी / दोषमुक्त फरमाया जा चुका है, उक्त दोनो प्रकरणों के सम्बन्ध में कोई अपील किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है व अपील पेश करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है, जिसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अधीनस्थ न्यायालय को उक्त तथ्यों से अवगत करवा दिया गया व अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने का निवेदन किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का गहनता से अवलोकन किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है व अपने आदेश में भी अपीलार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य अंकित नहीं किये गये है। अतः निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.01.2024 अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 58 / 2007 नवीनीकृत करने के आदेश फरमावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा अनुज्ञा–पत्र निरस्तीकरण का उक्त आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए व अपीलार्थी के सम्बन्ध में उप पुलिस अधीक्षक, वृत हनुमानगढ से रिपोर्ट प्राप्त कर किया है जिसमें अपीलार्थी समय–समय पर उपस्थित आता रहा है। अतः अपीलार्थी का अनुज्ञा–पत्र बहाल नहीं किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया गया। न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के अभिलेख अनुसार अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 58 / 2007 प्रार्थी/अनुज्ञाधारी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पैंडिग कोर्ट होने के कारण अनुज्ञापत्र संख्या 58 / 2007 को निरस्त किया गया। उक्त आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर सक्षम स्तर पर तथा मियाद में अपील की जानी थी, परन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार प्रार्थी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र बहाली के संबंध में अपील अवधि समाप्त हो चुकी थी। इस आधार पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थी की बन्दूक का लाईसेन्स नवीनीकृत करने का अपील/प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा पारित शत्र अनुज्ञा–पत्र सं0 58/07 का निरस्तीकरण आदेश 02.01.2017 की अपील/प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 10.01.2024 यथावत रखा जाता है। अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner